प्रस्तावना

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अंतर्गत झारखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है, जिसे राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

दो निष्पादन लेखापरीक्षा अर्थात् 'झारखण्ड में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का कार्यान्वयन' और 'झारखण्ड में जल जीवन मिशन का कार्यान्वयन', अप्रैल 2019 से मार्च 2024 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए किए गए, जिनका उद्देश्य इनकी कमियों को उजागर करना, उपचारात्मक कार्रवाई का सुझाव देना और योजना के परिणामों को सुदृढ़ करने हेतु उपायों की अनुशंसा करना था।

इस प्रतिवेदन में उन दृष्टांतों का उल्लेख किया गया है जो 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए और साथ ही उन दृष्टांतों को भी शामिल किया गया है जो पूर्व के वर्षों में संज्ञान में आए थे, लेकिन पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं किए जा सके थे। जहां भी आवश्यक हो, 2023-24 के बाद की अवधि से संबंधित दृष्टांतों को भी शामिल किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों, निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों और लेखा तथा लेखापरीक्षा पर विनियम के अनुरूप की गई है।